

1

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी


पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर - 130/2019

गिरवर सिंह दत्तक पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत उम्र 17 1/2 वर्ष निवासी
डाडाफतेहपुरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता होशियारी देवी पत्नी लीलासिंह जाति
राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
..... वादी

ब-ना-म

1. कैलाश सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं राज0
2. गुड्डी पुत्री समुद्रसिंह
3. बिल्लो पुत्री समुद्रसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र समुद्रसिंह
5. सायरसिंह पुत्र समुद्रसिंह
6. उम्मेद देवी पत्नी समुद्रसिंह
7. किशनसिंह पुत्र महावीर सिंह
8. कमलेश कंवर पुत्री महावीर सिंह
9. ओमीदेवी पुत्री महावीर सिंह
10. नौरंग सिंह पुत्र महावीर सिंह
11. पूर्णसिंह पुत्र महावीर सिंह
12. रमेश सिंह पुत्र महावीर सिंह
13. संतोष कंवर पुत्री महावीर सिंह
14. भवानी सिंह पुत्र सवाई सिंह
15. प्रिंस पुत्र सवाई सिंह
16. बेवी पुत्री सवाईसिंह
17. रेशमी पुत्री सवाईसिंह
18. शारदा पुत्री सवाईसिंह
19. कुसुम पुत्री सवाईसिंह
20. मुकेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
21. मानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
22. लीलासिंह पुत्र मुसदी सिंह
23. रोहताश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
24. प्रकाश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
25. निरंजन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
26. परिक्षित सिंह पुत्र नागर सिंह
27. शेरसिंह पुत्र नागर सिंह


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

28. सत्यवीर सिंह पुत्र नागर सिंह

29. हीरो देवी पत्नी नागर सिंह

समस्त जाति रातपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

30. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।

31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण


दावा- खाता विभाजन

—: निर्णय :-

दिनांक 01-08-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06-04-2021 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम डाडाफतेहपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 98 खसरा नंबर 1056, 1057, 1104, 1137, 1138, 1139, 1202, 2274 / 1153, 964, 968, 974 कुल किता 11 कुल रकबा 3.16 है. में वादी का 1/6 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2021/1633 दिनांक 17.06.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।


बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-“ब” के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

गिरवर सिंह दत्तक पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत उम्र 17 ¹/₂ वर्ष निवासी
डाडाफतेहपुरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता होशियारी देवी पत्नी लीलासिंह जाति
राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज०

ब-ना-म

1. कैलाश सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज०
2. गुड्डी पुत्री समुद्रसिंह
3. विल्लो पुत्री समुद्रसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र समुद्रसिंह
5. सायरसिंह पुत्र समुद्रसिंह
6. उम्मेद देवी पत्नी समुद्रसिंह
7. किशनसिंह पुत्र महावीर सिंह
8. कमलेश कंवर पुत्री महावीर सिंह
9. ओमीदेवी पुत्री महावीर सिंह
10. नौरंग सिंह पुत्र महावीर सिंह
11. पूर्णसिंह पुत्र महावीर सिंह
12. रमेश सिंह पुत्र महावीर सिंह
13. संतोष कंवर पुत्री महावीर सिंह
14. भवानी सिंह पुत्र सवाई सिंह
15. प्रिंस पुत्र सवाई सिंह
16. बेवी पुत्री सवाईसिंह
17. रेशमी पुत्री सवाईसिंह
18. शारदा पुत्री सवाईसिंह
19. कुसुम पुत्री सवाईसिंह
20. मुकेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
21. मानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
22. लीलासिंह पुत्र मुसदी सिंह
23. रोहताश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
24. प्रकाश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
25. निरंजन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
26. परिक्षित सिंह पुत्र नागर सिंह
27. शेरसिंह पुत्र नागर सिंह

50V
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

28. सत्यवीर सिंह पुत्र नागर सिंह

29. हीरो देवी पत्नी नागर सिंह

समस्त जाति रातपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

30. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।

31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 130 / 2019

निर्णय दिनांक :- 01-08-2022

वादी की ओर से श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-08-2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17-06-2021 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-5” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी